

16/5/26

प्रार्थना

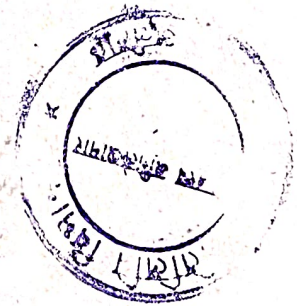
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त केस को उपरोक्त समझौते के अनुसार निर्णयित किया जाकर समझौते स्वयं संलग्न नक़्का समझौते को डिक्री का भाग बनाये जाने की कृपा की जाय, अति कृपा होगी ।

विपक्षीगण

- ✓ §1 रहीसपाल सिंह
पुत्र श्री दुलीप सिंह
निवासी-दुर्गेश कालोनी,
अलीगढ़ ।
- ✓ §2 श्रीमति मन्जू सिंह
पत्नी श्री रहीसपाल सिंह
निवासी- दुर्गेश कालोनी,
अलीगढ़ ।
- ✓ §3 चुन्नी लाल
पुत्र श्री हीरा लाल
निवासी- नगला तिकोना,
अलीगढ़ ।
- ✓ §4 विक्रम सिंह
पुत्र श्री बाई०पी० सिंह
मैनेजिंग डाइरेक्टर वाइस
इन्फ्रा स्ट्रेक्टर प्राइवेट लिमिटेड
निवासी-5/39आई०टी०आई०
गेट के सामने, अलीगढ़ ।

वादीगण

- ✓ §1 श्याम बाबू
पुत्र श्री मदन मोहन
निवासी- बंदीनिया
पोस्ट, अलीगढ़ ।
- ✓ §2 दुलीप सिंह
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी- बंदीनिया पोस्ट,
अलीगढ़ ।



सत्य प्रतिलिपि
22-4-26
राजस्व अभिलेख
कलेक्ट्रेट, अलीगढ़

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18/4/26
नकल तैयार होने का दिनांक 21/4/26
नकल देने का दिनांक 22-4-26
दिनांक= -5-2010

नकल नवीस के हस्ताक्षर
भिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

§स§- यह कि नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शाित भाग के मालिक व काबिज चुन्नी लाल प्रतिवादी है और भविष्य में रहेंगे । अर्थात् नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शाित भाग चुन्नी लाल का है ।

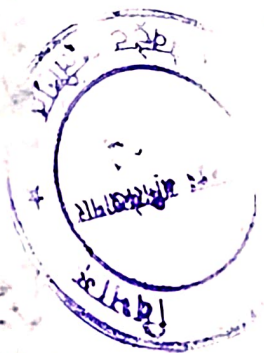
§द§- यह कि नक्शा समझौता में हरे रंग से दर्शाित भाग के मालिक व काबिज रहीसपाल सिंह पुत्र श्री दुलीप सिंह निवासी दुर्गेश कातोनी अलीगढ़ व उनकी पत्नी मन्जू सिंह संयुक्त रूप से मालिक व काबिज हैं तथा भविष्य में रहेंगे । अर्थात् नक्शा समझौता में हरे रंग का कुरा रहीसपाल सिंह व उनकी पत्नी मन्जूसिंह का है ।

§य§- यह कि नक्शा समझौता में पक्षकारों के भूभाग को प्रथक- प्रथक सान्ख्यिक- 404 के सम्बन्ध में-द्वारा-नियत किया है तथा नक्शा समझौता डिगरी का अंग रहेगा ।

§र§- यह कि नक्शा समझौता में दर्शाित प्रथक भूभाग के सम्बन्ध में एक दूसरे पक्षकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा , तथा कुरेजात में आये हुये भूभाग पक्षकार जिस तरह चाहे उस तरह प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

§ल§- यह कि पक्षकारवाद व्यय स्वयं अपना- अपना वहन करेंगे

रहीसपाल सिंह मन्जू सिंह चुन्नी लाल



7295
22/5/20

नकल प्रारम्भिक डिकी दि०-26-5-10
आज - असदपुर काला- 24.5.10

नकल प्रारम्भिक डिकी दि०-26-5-10
न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्चर प्र०श्रे० कोल, अलीगढ़।

- ✓ वाद सं०-327
संस्थित दिनांक-02-1-2010.
✓ 1-श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीप कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी गण चंदनिया चौक शहर अलीगढ़।.....वादी।

- वनाम
✓ 1- श्री रहीसपाल सिंह पुत्र दिलीप सिंह 2-श्रीमती मुजू कुमार पत्नी रहीसपाल सिंह निवासी गण दुर्गेश कालोनी 3-श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल निवासी नगला तिकोना शहर अलीगढ़।
4-बाइगस इन्फा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह पुत्र बाई०पी० सिंह निवासी 5/39 आई०टी०आई० गेट के सागने अलीगढ़।.....प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष।
5- ग्राम सभा असदपुर क्याम द्वारा ग्राम प्रधान/अध्यक्ष भ०प्र०स० असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल तहसील कोल जिला अलीगढ़।.....प्रतिवादी द्वितीय पक्ष।

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 176ज०वि०एवं भूमि व्यव० अधिनियम सन् 1950 बाबत विवादित स्थित भूमि खाता सं० 14 गाटासं० 404 रकबा 1.416है० लगानी 35.00 रु० मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।

आज यह वाद निर्णय अन्तिम हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्चर प्रथम श्रेणी कोल अलीगढ़ के समक्ष उपस्थित श्री आर०के० पाठक एडवोकेट वादी की ओर से तथा श्री वृजेन्द्र पाल सिंह व श्री शैलेन्द्र कुमार पचौरी एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत होकर आदेश दिनांक 24-5-2010 को हुआ कि वाद में वर्णित विवादित भूमि मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं० 14 गाटासं० 404 रकबा 1.416है० लगानी 35.00 रुपये में वादी श्यामबाबू का 1121/1416 भाग व वादी सं०-2 दिलीप कुमार का 1121/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-1 रहीसपाल सिंह का 3059/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-2 श्रीमती मन्जू कुमारी का 1297/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-3 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-4 विक्रम सिंह का 6917/1416 भाग घोषित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद व्यय अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। आज यह डिकी दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से निर्गत हुई।

(राजेश्वर अहलमद)

26.5.10

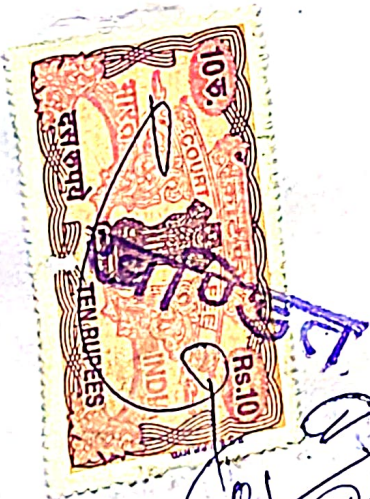
(ज्ञानेन्द्र सिंह)

उपजिलाधिकारी / सहायक लेक्चर प्र०श्रे०
कोल, अलीगढ़।

नकल पत्र देने का दिनांक 10/11/26
नकल तैयार होने का दिनांक 21/11/26
नकल देने का दिनांक 22.5.26

नकल नवीन के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या

सत्य प्रतिलिपि
22.5.26
राजेश्वर अहलमद
लेक्चर अलीगढ़



न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर, प्रथम श्रेणी कोल, अलीगढ़।

- ✓ वाद सं०-327
- ✓ मौजा-असदपुर क्याम
- ✓ श्यामबाबू आदि

- ✓ अन्तर्गत धारा-176 ज०वि० एवं भूमि व्यव० अधि०
- ✓ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।
- ✓ रहीसपालसिंह आदि

न० निर्णय दि०-24.5.2010

प्रस्तुत वाद धारा-176 ज०वि० एवं भूमि व्यव० अधि० के अन्तर्गत श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीपकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी गण चंदनियों चौक शहर अलीगढ़ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ द्वारा दिनांक 02-1-2010 को योजित किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित किया गया है कि मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं०-14 के गाटा सं० 404 रकबा 1.416 है 0 लगानी 35-00 रुपये वार्षिक पर वादी व प्रतिवादी वतौर सहखातेदार संकमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। वादीगण व प्रतिवादीगण में जुताई बुवाई एवं लगान आदि वेंटवारा के वाद विवाद बना रहता है। जिससे वादीगण अपने हिस्से की भूमि का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। इस कारण उक्त वाद दायर किया गया है। प्रार्थना की है कि वादीगण का कमश 1121/1416, 1121/1416 भाग घोषित कर प्रारम्भिक डिकी निर्गत करने की कृपा करें।

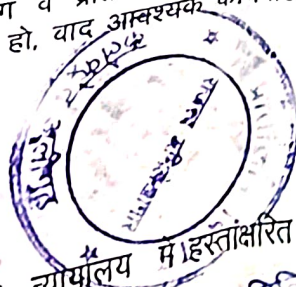
वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार सम्मन जारी किये गये, वाद तामील सम्मन भित्तिल हुआ। प्रतिवादी सं० 2 श्रीमती मन्जूकुमारी ने अपनी आपत्ति दिनांक 08-3-2010 में कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर असहमति व्यक्ति की गयी है। इसके वाद दिनांक 13-5-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण श्री रहीसपालसिंह, श्रीमती मन्जूसिंह, चुन्नीलाल, विक्रमसिंह एवं वादीगण श्री श्यामबाबू व दिलीप कुमार द्वारा एक समझौता प्रार्थनापत्र मय नक्शा नजरी के प्रस्तुत किया है जिसके कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर सभी पक्षगण सहमत हैं और न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति के हस्ताक्षर किये गये, तदनुसार वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर कोई आपत्ति नहीं है, सभी पक्षगण द्वारा समझौता प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वादीगण का वाद डिकी किया जाय। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं०-14 के गाटा सं० 404 रकबा 1.416 है 0 लगानी 35-00 रुपये वार्षिक में वादी सं० 1 श्यामबाबू का 1121/1416 भाग व वादी सं० 2 दिलीपकुमार का 1121/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 1 रहीसपालसिंह का 3059/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 2 श्रीमती मन्जूकुमारी का 1297/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 4 विक्रमसिंह का 6917/1416 भाग घोषित किया जाता है तदनुसार प्रारम्भिक डिकी जारी हो, वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक:-24-5-2010.



(ज्ञानेन्द्र सिंह)

उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० अ० कोल, अलीगढ़

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया है।

दिनांक:-24-5-2010

सत्य प्रति
22.5.26
न्याय्य अति
कमिस्ट्र अति

उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० अ० कोल, अलीगढ़।

न्याय पत्र देने का दिनांक 18/4/26
न्याय तैयार होने का दिनांक 21/4/26
न्याय देने का दिनांक 22/5/26

नकल नवीन के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या

सिविल नं० 7295
श्याम 1086

ऑफिस ऑफ जज (सिविल) अलीगढ़ (अलीगढ़) (13)

न्यायालय श्रीमान उप-जिलाधिकारी महोदय कोल, अलीगढ़ ।

वाद संख्या-327 सन् 2010

✓ श्याम बाबू आदि बनाम रहीसवाल सिंह आदि

✓ अडवाट = 176/182 जेठा सवाल आर सवाल

✓ मौजा- अतदपुर क्याम, तहसील- कोल,
✓ जिला- अलीगढ़ । संख्या 24-5-10

श्रीमान जी,

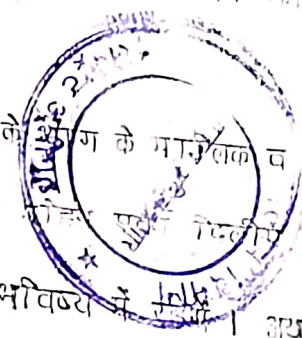
मकल समझौता मिनजानिव पक्षकारान सि०-



1- यह कि वादीगण ने उपरोक्त वाद गाटा संख्या-304 लिखत अतदपुर क्याम तहसील कोल जिला अलीगढ़ के सम्बन्ध में बंटवारे से जुड़े सवाल सह-भूमिधर श्रीमान जी के न्यायालय में दायर किया है जिसमें पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर बंटवारे सम्बन्धी समझौता हो गया है -

अ- यह कि समझौते के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाित भाग के मालिक व काबिज वाइगत इन्फ्रा स्ट्रेक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा के द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर विक्रम सिंह पुत्र श्री चारन पीठ सिंह है और भविष्य में रहेंगे । यानि कि लाल रंग से दर्शाित भाग इनके कुरे में है ।

ब- यह कि नक्शा समझौता में दर्शाित नीले रंग के भाग के मालिक व काबिज संयुक्त रूप से श्याम बाबू पुत्र श्री मदन कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सं० है और भविष्य में रहेंगे । अर्थात् नक्शा समझौता में नीला रंग से दर्शाित भाग इनके कुरे में रहेगा ।



रहीसवाल सिंह मंजू सिंह चुन्नीलाल

24/5/10
depumar

स्थिति - असदपुर कचाम परगना व तहसील - जौल गिला-
अलीगढ़। गारा नं. - ५०५



वाइगस इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर
श्री विक्रम सिंह रकबा ०.८७१७ ई.



श्री रघुनाथ बाबू व श्री दिलीप सिंह रकबा ०.२२४२ ई.



श्री चुन्नी लाल रकबा ०.०६४१ ई.



श्री रहीस चाल सिंह व मंगू सिंह रकबा ०.४३५६.

